सं-ई-11013/2/2018/हिंदी /1401

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

906(द.), सेवा भवन
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 66
दिनांक: 14 नवंबर, 2019

सेवा मे,

सभी संबंधित मुख्य अभियंता।

विषय: राजभाषा नियम,1976 (यथा संशोधित, 1987) नियम 10(4) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को अधिसूचित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा भेजे गए दिनांक 14.10.2019 के सम संख्यक पत्र के अनुसरण मे जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने दिनांक 30.10.2019 के पत्र सं ई.11011/16/2015- हिन्दी के द्वारा केंद्रीय जल आयोग के निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यालयों को राजभाषा नियम 10 के उप नियम (4) के अंतर्गत अधिसूचित किया है (प्रतिलिपि संलग्न):-

1- जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, वैशाली,
2- प्रबोधन और मूल्यांकन(आं.प्र.) निदेशालय, हैदराबाद,
3- निचली गोदावरी उपमंडल-I, भद्राचलम,
4- मुख्य अभियंता कार्यालय, तीस्ता बेसिन संगठन, कोलकाता
5- प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग कोलकाता,
6- उप मण्डल, अभियंता कार्यालय, मंजीरा उपमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, निजामाबाद(तेलंगाना),
7- निदेशक, प्रबोधन निदेशालय, नर्मदा बेसिन संगठन, भोपाल,
8- निदेशक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय, नर्मदा बेसिन संगठन, भोपाल,
9- निदेशक, पुनासा निदेशालय, नर्मदा बेसिन संगठन, भोपाल,
10-अनुभागीय अभियंता, ऊपरी नर्मदा उप मण्डल, होशंगाबाद,
11-सहायक अधिशासी अभियंता, मध्य नर्मदा उप मण्डल, भोपाल,
12-सहायक अधिशासी अभियंता, मध्य नर्मदा उप मण्डल, इंदौर,
13-अनुभागीय अभियंता, ऊपरी नर्मदा उप मण्डल, जबलपुर
14-प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय, शिमला कार्यालय

अतः अनुरोध है कि केंद्रीय जल आयोग तथा केंद्र सरकार के सभी कार्यालय नियमानुसार इन कार्यालयों के साथ पत्राचार हिन्दी में ही करें।

संबंधित कार्यालयों के सभी कार्यालयाध्यक्ष, कार्यालयों मे कार्यरत हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नियम 8(4) के तहत हिन्दी में काम करने के लिए व्यक्तिश: आदेश (By Name Order) जारी करें और एक प्रति आयोग के हिन्दी अनुभाग को भी सूचनार्थ प्रेषित करें।

संलग्न: यथोक्त।

14/11/19

(रजिन्दर पॉल)
उप निदेशक(रा.भा.)
दूरभाष :011 29583720

प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1- सभी निदेशक/ शाखा अधिकारी/ अवर सचिव/ सभी अनुभाग, मण्डल/परिमंडल कार्यालय, के.ज.आ
2- उपनिदेशक (एसएमडी), केन्द्रीय जल आयोग को के.ज.आ. की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।

21/11/19

प्रति सूचनार्थ,

1- अध्यक्ष, के.ज.आ के प्रधान निजी सचिव।
2- सदस्य, नदी प्रबंध/ जल आयोजना एवं परियोजना/ अभिकल्प एवं अनुसंधान के निजी सचिव।
3- सहायक निदेशक (रा.भा.) जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।

Software Management Dte. C.W.C.
Dy. No. 180
Dt. 21/11/19
सॉ० प्र० नि० के० ज० आ०